212

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—:: आदेश ::—

मोपाल दिनांक 13 फरवरी, 2007

क्रमाक एफ 7—44/1996/बीस—4 :: विभिन्न न्यायालयीन आदेशों के परिपालन में इस विभाग के आदेश क्रमाक एफ 18—45/2002/वि.प्र./20 दिनांक 17.10.2003 द्वारा, दिनांक 16.06.1993 तक नियुक्त ऐसे सभी शिक्षक जिन्होने स्वयं के व्यय पर सेवाकाल के दौरान, विभागीय अनुमति प्राप्त कर बी.एड./बी.टी.आई. की उपाधि/प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें 23.10.1964 से 01.03.1999 तक की अवधि में बी.एड./बी.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से दो वेतनवृद्धियॉं स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस आदेश के कियान्वयन पर, वित्त विभाग के पत्र क्रमाक 176/2004/नियम/चार दिनांक 10.03.2005 के संदर्भ में, आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक वि. अंकेक्षण/05/481 दिनांक 21.03.2005 के द्वारा, रोक लगा दी गई थी।

2. राज्य शासन वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र दिनांक 10.03.2005 एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र दिनांक 21.03.2005 को निरस्त करते हुए, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 17.10.2003 के अनुसार शिक्षक संवर्ग द्वारा स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतनवृद्धियॉं अग्रिम में स्वीकृत करने की सहमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है :—

(1) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित शिक्षक द्वारा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एवं पाठ्यक्रम में बी.एड./बी.टी.आई. किया गया है।

(2) नियमानुसार विधिवत् विभागीय अनुमति संबंधित शिक्षक द्वारा सक्षम अधिकारी से प्राप्त की हो।

3. इस संबंध में पात्रता संबंधी प्रकरणों का परीक्षण निम्नांकित स्क्रीनिंग कैमेटी द्वारा किया जावेगा :—

...2...

213

1.	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण.	अध्यक्ष
2.	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा या उसका प्रतिनिधि जो सहायक संचालक स्तर से कम का न हो।	सदस्य
3.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि जो सहायक संचालक स्तर से कम का न हो।	सदस्य सचिव

4. उपरोक्तानुसार स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जाये। यह स्वीकृति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

5. **यह स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमाक आर 2507/06/नि./चार दिनांक 08-01-2007 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार
13.2.07
(ए.एस.पगारे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमाक एफ 7-44/1996/बीस-4 भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्रतिलिपि :-

निज सचिव, मा.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर टीप क्र0-आर2507/06/नि/चार,दिनांक08.01.2007एवं क्रमांक-आर-159/07/नि/चार, दिनांक 7.2.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।

महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल मध्यप्रदेश।

7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा पेंशन मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12 संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर मध्यप्रदेश।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/ जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, जनसंपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, कक्ष क्रमाक 424–ए चौथी मंजिल वल्लभ भवन, भोपाल।
15. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13.2.07

(ए.एस.पगारे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग